

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:— 355/2022

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय गुप्ता, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं० 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 तथा शाखा कार्यालय पहली मंजिल बी 21, रामा कॉम्प्लेक्स, मान नगर, झुंझुनू 33001 (राज०) मे स्थित कार्यरत है।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती राजेश देवी पत्नि श्री जगदीश, पता वार्ड नं० 9, लूणा, मुख्य सडक के पास, झुंझुनू (राज०) पिन कोड 333011
2. श्री जगदीश पुत्र मोहनलाल, पता वार्ड नं० 9, लूणा, मुख्य सडक के पास, झुंझुनू (राज०) पिन कोड 333011

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

उपस्थित:—

1. एडवोकेट श्री योगेन्द्र सिंह – प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.01.2023

प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था से दिनांक 25.05.2016 को खाता सं० LAP2000004788 & LA33LALONS000005027075 मे 4,00,000/- ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज पुर्नभुगतान हेतु सिक्क्यूरिटी के रूप मे अपनी निम्न अचल सम्पत्ति के असल कागजात मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे रहन किया जो कि निम्न प्रकार से है:—

सम्पत्ति का विवरण

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो कि पट्टा नं० 066 ग्राम लूणा, ग्राम पंचायत लूणा, पंचायत समिति अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू (राज०) स्थित है जिसकी माप लगभग 298.66 वर्ग गज है

चतु सीमायें:—

- पूर्व:— शीशपाल
पश्चिम:— महिपाल का घर
उत्तर:— आम रास्ता
दक्षिण:— बलराम की भूमि



(Handwritten signature)

अप्रार्थीगण नियमिति रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और ऋण के भुगतान के व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.12.2021 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के खाता संख्या LAP2000004788 & LA33LALONS000005027075 मे रूपये 5,06,598.89 (शब्दों मे रूपये पांच लाख छः हजार पांच सौ अठानवे रूपये नवासी पैसे साठ मात्र) 28.02.2022 तक जिस पर आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2022 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही किया। अप्रार्थीगण ने धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्त हो जाने व नोटिस मे अवधि मे देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी संस्था को नही किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी संस्था सिक्यूरिटी रहन व दृष्टिबंधक सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। सिक्यूरिटी रहन व दृष्टिबंधक सम्पत्ति के ताले लगे होने की स्थिति मे ससम्पत्ति पर लगे तालों को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने आदेश फरमाये जाने की प्रार्थना श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित अप्रार्थीगण की निम्न चल व अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने के आदेश पारित फरमावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।


हमने प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात व जबाब वकील अप्रार्थीगण का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है


शिला कलकटर सुन्धर

तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं० 1 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल की आवासीय सम्पति भूमि व भवन जो कि पट्टा नं० 066 ग्राम लूणा, ग्राम पंचायत लूणा, पंचायत समिति अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू (राज०) स्थित है जिसकी माप लगभग 298.66 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू